दिनांक– 13.05.2024 को श्री संजीव कुमार सिन्हा, अपर सचिव, जल संसाधन विभाग एवं भू–अर्जन विशेषज्ञ की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/दरभंगा/भागलपुर/बिहारशरीफ/गया/औरंगाबाद एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल एवं निस्सरण, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/कटिहार परिक्षेत्राधीन भू–अर्जन से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :–

1. श्री संजीव कुमार सिन्हा, अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री पंकज पटेल, भू–अर्जन विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री जितेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–03, पटना।
4. ई0 अबरार अरशद, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, पटना।
5. श्री दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनिटरिंग अचंल, पटना।
6. श्री प्रभु नारायण सिंह, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–09, पटना।
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–04, पटना।
8. श्री अभिषेक कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–15।
9. श्री गंगेश कुमार गुंजन, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–17।
10. श्री शम्स तबरेज, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–08।
11. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मो0 प्रमंडल–18, पटना।
12. श्री शान्तनु कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02, पटना।

समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश निम्नवत है :–

1. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर।

1. बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना फेज–।।

(a) बंशीपुर लघु नहर में अवशेष मिट्टी एवं संरचना कार्य :–

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, गंगा पंप नहर प्रमंडल, कहलगाँव द्वारा बताया गया कि इस नहर प्रणाली में टाईटल शुट सं0–118/2023 में अंचलाधिकारी, कहलगाँव से सम्पर्क कर मामले की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि अवशेष कार्य कराने हेतु संवेदक से वार्ता की गयी। संवेदक द्वारा पुराने दर पर कार्य कराने में असमर्थता व्यक्ता की गयी।

निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल कहलगाँव)

b) **कासरी वितरणी में अवशेष मिट्टी एवं संरचना कार्य :–**

इस योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, में दायर CWJC सं0–4183/2023 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में अंतिम विपत्र पारित किया जा चुका है। अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। **(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर)**

2. **मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड अन्तर्गत हरननगवई सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य अन्तर्गत वागेशरी ग्राम के निकट खर्रा (हरननगवई) नदी पर पुराने क्षतिग्रस्त वीयर के स्थान पर हरननगवई वीयर का निर्माण, हेड रेगुलेटर का निर्माण तथा पईनों के पुनर्स्थापन कार्य :–**

इस योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस योजनान्तर्गत पईन–। के आरंभिक बिन्दू पर एच.आर को छोड़ कर शेष कार्य पूर्ण है। पईन–। में एच.आर. निर्माण हेतु 17.5 डिसमिल भूमि सतत लीज नीति के तहत अधिग्रहण करने हेतु प्रस्तावित है, परन्तु रैयतों में आपसी विवाद के कारण उनके द्वारा सहमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। उक्त स्थल पर एच.आर बन जाने से इस पईन में पानी नियत रूप से प्रवाहित किया जा सकेगा। उक्त स्थल पर संरचना कार्य में विलंब की स्थिति में संवेदक द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है एवं एकरारनामा को बंद करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

निदेश दिया गया की रैयतों से वार्त्ता कर सहमति प्राप्त करते हुए नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शिवनारायणपुर)

3. **लखीसराय जिलांतर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के कजरा क्षेत्र के द्वारसन कोल से निकली कुसुम्हा नदी से सिंचाई हेतु इसके जलश्राव में वृद्धि के लिए घोघला कोल नदी से इसको जोड़ने की योजना कार्य :–**

इस योजना समीक्षा के क्रम में बताया गया कि रैयतों से सहमति प्राप्त कर इस योजना का असैनिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रैयतों के मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

निदेश दिया गया कि रैयतों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर नियमानुकूल भुगतान शीघ्र किया जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल खड़गपुर/ कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, मुंगेर)

2. **मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ –**

a) **मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली बायें एवं दायें मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं का निर्माण कार्य –**

मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली बायें एवं दायें मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं का निर्माण कार्य की प्रगति भू–अर्जन की समस्या के कारण लगातार प्रभावित रही है। इस योजना में जमीनों की दर अलग–अलग होने के कारण जमीन अधिग्रहण करने में कठिनाईयां हो रही है। निदेश दिया गया कि इस योजना के भू–अर्जन की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासान से अपेक्षित सहयोग लेकर कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए कार्य को पूर्ण कराया जाय।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा, बिहारशरीफ/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी)।

b) **सकरी (जीराईन) नदी पर दरियापुर वीयर का निर्माण तथा इसके वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य :–**

i. मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि सकरी (जीराईन) नदी पर दरियापुर वीयर का निर्माण तथा इसके वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य अन्तर्गत पचनलवा दायां मुख्य नहर में कार्य फसल कटने के उपरान्त प्रारम्भ किया गया है एवं इस नहर के गैप वाले भाग (0.21 कि0मी0 से 2.10 कि0मी0) में कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही इस नहर के 0.32 कि0मी0 से 0.38 कि0मी0 में 27 डि0 में भू–अर्जन किया जाना था परन्तु वर्तमान में 13 डि0 में ही भू–अर्जन कार्य पूर्ण है, जिसके कारण उक्त भाग में आंशिक चौड़ाई में ही नहर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। नहर के उक्त भाग में पूरे सेक्शन में नहर के निर्माण हेतु 14 डि0 में भू–अर्जन किया जाना है।

इस पर निदेश दिया गया कि भू–अर्जन की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ii. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि छातो बायां मुख्य नहर में बचे हुए गैप (0.63 कि0मी0 से 1.40 कि0मी0 तक) में दिनांक–08.05.2024 को एवं पचनलवा मुख्य नहर से निःसृत पाची वितरणी में बचे हुए गैप (0.00 कि0मी0 से 0.63 कि0मी0 तक) में दिनांक–09.05.2024 को कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसे खरीफ सिंचाई 2024 के पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा।

इस पर निदेश दिया गया कि कार्य में अपेक्षित तेजी लाकर कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा/संवेदक सत्येन्द्र कुमार कं०, पटना)।

3. **मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद–**

a. **उत्तर कोयल जलाशय योजनाः–** उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य के अधीन 8th RCE में कुल 294.71 हे0 भूमि के भू–अर्जन का प्रावधान किया गया है। प्रावधानित भू–अर्जन के अंतर्गत वर्तमान में 6th RCE के अधीन अवशेष भू–अर्जन तथा

गया परिक्षेत्राधीन वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक भू–अर्जन, कुल रकवा–163.80 हे0 का भू–अर्जन कार्य प्रगति में है। इसमें उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर के अधीन 12.24 हे0, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर (शिविर–औरंगाबाद) के अधीन 10.68 हे0, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन 7.96 हे0, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा के अधीन 7.07 हे0 एवं उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गया के अधीन 125.82 हे0 भूमि का भू–अर्जन किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गया एवं उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर में भू–अर्जन का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। इस क्रम में निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई जल्द पूर्ण करें। **(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद /अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गया/अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गया/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर)**

4. **मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी :–**

a. पूर्वी गंडक प्रणाली (गंडक फेज–II) एवं ग्राम कचहरीपुर के निकट झीम नदी के गेटेड वीयर निर्माण कार्य – सोनवर्षा प्रखण्ड के कचहरीपुर के निकट झीप नदी पर गेटेड वीयर का निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया की नहर प्रणालियों के एल0ए0 प्लान का क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाय। स्थल निरीक्षणोपरांत अपने स्तर से संतुष्ट होकर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–2) योजना अंतर्गत तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0 827.70 से वि0दू0 909.40 तक मुख्य नहर निर्माण कार्य, लाईनिंग कार्य एवं संरचना निर्माण कार्य (पैकेज–3) की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि इस पैकेज में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा कितने भूमि का अधिग्रहण शेष है। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का रकवा एवं मूल्य का आकलन कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय। **(अनुपालन– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत, नहर प्रमंडल, मोतिपुर/ढाका)**

5. **मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण मुजफ्फरपुर :–**

a. **बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज ii** – इस मामले में संबंधित DLAO से शीघ्र भुगतान हेतु अनुरोध किए जाने संबंधी निदेश दिया गया एवं LA Expert के संपर्क में रहने हेतु प्रतिवेदित किया गया। विभाग स्तर से इस योजना में Team द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत समीक्षा की जायेगी।

b. **बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना ivA** :– इस योजना अंतर्गत भू–अर्जन आपात प्रक्रिया के तहत किया जाना है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता के द्वारा बतलाया गया कि DLAO को भुगतान की अनुमति प्राप्त है। इस मामले में निदेश दिया कि भुगतेय रैयतों के राशि का भुगतान किया जाय एवं शेष सभी रैयतों को 2 नोटिस के बाद उक्त राशि LARR में जमा कर जिला प्रशासन की मदद लेने हेतु प्रतिवेदित किया गया।

c. **रातो नदी का बाढ़ प्रबंधन** :– इस योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस योजना अंतर्गत लगभग 222 एकड़ भूमि भू–अर्जन सतत लीज नीति के तहत किया जाना है, जिसमें 44 एकड़ भूमि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 178 एकड़ भूमि के भुगतान के संबंध में कार्रवाई चुनाव कार्य के बाद प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गई।

(अनुपालनः– भू–अर्जन विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता,)

6. **मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार :–**

a. **महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज ii** :– इस योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2018 से अभी तक प्रक्रियाधीन है। भूमि अधिग्रहण हेतु विभागीय पत्रांक– 1100 दिनांक– 13.02.2023 द्वारा महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना के संबंध में अभियंता प्रमुख, बाढ़ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटि गठित है जिसके द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया जाना है।

b. **भागलपुर जिला अंतर्गत जाह्न्वी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध का निर्माण कार्य का भूमि अधिग्रहण** :– इस मामले में कुल अधियाचित रकवा 100.475 एकड़ है, जिसमें 70.9383 एकड़ का निबंधन किया जा चुका है। शेष रकबा हेतु रैयतों से वांछित आवश्यक कागजात की माँग की गई है।

c. **भागलपुर एवं बाँका जिला अंतर्गत चंदन नदी परियोजना का भूमि अधिग्रहणः**– इस योजना में बाँका जिला अंतर्गत रजौन, अमरपुर, बाँका एवं बाराहाट ब्लॉक में रैयती जमीन का अधियाचित रकबा 144.06 एकड़ है, जिसके दर निर्धारण का कार्य प्रगति में है। इस योजना के भागलपुर जिला अंतर्गत शाहपुर, गोराडीह एवं जगदीशपुर

ब्लॉक में रैयती जमीन का अधियाचित रकबा 154.93 एकड़ है, जिसका दर निर्धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता)**

7. **मुख्य अभियंता, समस्तीपुरः–**

a. कमला बॉयाँ एवं दायाँ तटबंध को जोड़ने का कार्यः– इस योजना में सतत् लीज नीति के तहत कुल–28 एकड़ भूमि का भू–अर्जन किया जा रहा है। **Right tagging** में 600 रैयतों में 570 रैयतों का भुगतान किया जा चुका है।

6 (छः) सदस्यीय समिति का गठन हो गया है। संबंधित क्षेत्रीय अभियंता द्वारा इस मामले में बताया गया कि चुनाव की समाप्ति अर्थात् 20 मई के बाद कार्य में तेजी लाने में सहमति व्यक्त की गई।

b. **खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग–1 एवं 2 :–** बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसारय एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया अंतर्गत क्रमशः खगड़िया शहर सुरक्षा भाग–1 एवं खगड़िया शहर सुरक्षा भाग–2 के अंतर्गत कतिपय मौजा में भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया का प्रारंभ अबतक नहीं हुआ है। इस संबंध में अपर सचिव महोदय द्वारा अत्यंत खेद प्रकट किया गया।

निदेशित किया गया कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता द्वारा भू–अर्जन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करते हुए योजना में प्रगति लाएँ। इस मामले में अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं भू–अर्जन विशेषज्ञ द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर सहमति व्यक्त की गई। **(अनुपालनः– संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)**

27/5/2024

(पंकज पटेल)
भू–अर्जन विशेषज्ञ
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

27/5/2024

(संजीव कुमार सिन्हा)
अपर सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 16/विविध–03–01/2023– 2007 पटना, दिनांक–28/05/2024

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/सभी अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मो० अचंल/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा/मोतिहारी/भागलपुर /बिहारशरीफ/गया/औरंगाबाद/डिहरी एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर/पटना/मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/कटिहार, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो० अंचल–2,3/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मो० प्रमंडल–4,6,8,,9 एवं 11/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मो० प्रमंडल–15,16,17 एवं 18 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/5/24

(महेश प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 16/विविध–03–01/2023– 2007 पटना, दिनांक–28/05/2024

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, IT WRD, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/5/24

(महेश प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 16/विविध–03–01/2023– 2007 पटना, दिनांक–28/05/2024

प्रतिलिपि :– IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। निदेश है कि बैठक हेतु निर्धारित तिथि एवं समय (प्रत्येक माह का द्वितीय सोमवार) पर Video conferencing के माध्यम से सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को बैठक संचालन के पूर्व बैठक में शामिल होने हेतु लिंक उपलब्ध कराएँगे।

28/5/24

(महेश प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव